सड़क, पार्किंग, निर्भया कैफे और फसाड लाइटिंग पर हुए अहम फैसले

स्मार्ट सिटी की 40वीं बोर्ड बैठक हुई

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मार्च। स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 40वीं बोर्ड बैठक में शहर के अधोसंरचना और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर एवं बोर्ड की अध्यक्ष रुचिका चौहान ने सचिन तेंदुलकर रोड के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस सड़क के सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना तैयार कर उसे मूर्तरूप दें। निर्भया कैफे की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर कार्य शुरू करने, मल्टीलेवल पार्किंग के संचालन से पहले महाराज बाडा क्षेत्र में आने वाले वाहनो की संख्या सहित ट्रैफिक

सर्वे कराने तथा फसाड लाइटिंग परियोजना का विस्तार करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। सोमवार को मोतीमहल स्थित स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं एवं डिपॉजिट वर्क की शेष राशि से प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आईएसबीटी पर प्रस्तावित कमर्शियल कॉम्पलेक्स, कन्वेंशन सेंटर में अतिरिक्त कार्य, नगर निगम म्यूजियम के जीर्णोद्धार, फसाड लाइटिंग के विस्तार, जल संरक्षण और ट्रैफिक सुधार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कन्वेंशन सेंटर के पीछे प्रस्तावित बैंक्वेट हॉल के डिजाइन पर चर्चा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इसमें जल निकासी सहित सभी आवश्यक प्रावधान शामिल कर संशोधित डिजाइन प्रस्तुत करें। जिन हैरिटेज इमारतों पर कार्य की अनुमति प्राप्त हो चुकी है वहां पर जल्द से जल्द फसाड लाइटिंग का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि तानसेन समाधि एवं मोहम्मद गौस के मकबरे को छोड़कर अन्य स्थलों के लिए आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

मल्टीलेवल कार पार्किंग के संचालन एवं रख-रखाव के संबंध में कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाराज बाड़ा क्षेत्र में प्रतिदिन आने वाले वाहनों का ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त सर्वे कराया जाए और प्रीपेड व मंथली पास जैसी सुविधाओं को निविदा में अवश्य शामिल किया जाए। बैठक में शहर की पुरानी बावड़ियों के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा भी की गई। उपनगर ग्वालियर, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व में एक-एक बावड़ी का कार्य लगभग पूर्ण होने पर कलेक्टर ने इन बावडियों के शीघ्र पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी एवं पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम के संबंध में बताया गया कि यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है।

अब गलत दिशा में आने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसे बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ संघप्रिय, बोर्ड के अन्य सदस्य एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कृष्णकांत कुशवाह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बोर्ड के सदस्य प्रशांत मेहता वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

स्टेशन पर चैकिंग में पकड़े अनाधिकृत वेंडर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत वेंडरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस अनधिकृत वेंडर ड्राइव के दौरान वाणिज्य विभाग के निरीक्षक तथा कैटरिंग टीम द्वारा कुल 05 अनधिकृत वेंडरों को पकड़ा गया। इनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

रेल प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रेलवे परिसरों में अनधिकृत रूप से खाद्य पदार्थ अथवा अन्य सामग्री की बिक्री यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है। ऐसे मामलों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा आगे भी इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत वेंडरों से ही खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदें तथा किसी भी अनियमितता की सूचना रेलवे को दें।

CHANGE OF NAME

I, SAURAV Son of Army No. 14448931L Rank Hav (OPR) Name MEVA LAL YADAV Unit of 97 FD REGT C/o 56 APO, Presently residing at Vill- Mustafabad, Post- Dewait, Dist- Azamgarh, State- Uttar Pradesh, Pin- 276204 have changed my name from SAURAV to SAURAV YADAV Vide Affidavit No. BX 978165 & Date- 30.03.2026, before District Court Gwalior

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेनू पत्नी श्री रवि की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 89, ग्राम बामौरकलां एवं तहसील बामौर व जिला मुरैना (म.प्र.) के सर्वे नंबर 931/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- ए.बी रोड, पश्चिम में- खाली जगह रेलवे लाइन, उत्तर में- भूमि रामभरोसी, दक्षिण में- भूमि सुभाष बंसल व कुल क्षेत्रफल 1680 वर्गफुट है। मेरे पक्षकार द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र विलेख जिसे पूर्व स्वामी श्रीमान दीपक बौधानी पुत्र श्री रामचंद बौधानी द्वारा श्रीमान जफर उस्मानी पुत्र श्री सलीम उस्मानी को रजिस्टर्ड सरल क्र. 3323 व ग्रंथ क्र. 8945 एवं दिनांक 27-12-2012 से विक्रय किया गया था के मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं जिसके तारतम्य में उक्त संपत्ति के मूल दस्तावेज जिस किसी सज्जन व्यक्ति विशेष को मिले कृपया नीचे दिए गए पते पर तुरंत सूचित करें। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 30.03.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसलटेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

राजयोग ध्यान से होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार - आदर्श दीदी

सच्ची खुशी वही जो हर परिस्थिति में बनीं रहे - बीके प्रहलाद

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नाका चंद्रवदनी क्षेत्र में 'खुशनुमा जीवन के लिए राजयोग ध्यान शिविर' का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर आध्यात्मिक अनुभूति एवं जीवन जीने की नई दिशा प्राप्त की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रह्माकुमारीज केन्द्र प्रमुख बीके आदर्श दीदी, प्रेरक वक्ता बीके प्रहलाद भाई, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति दीदी, बाबू लाल बघेल, लाल बघेल एडवोकेट डबरा, ऊषा बघेल, बीके सुरभि, मनीराम बघेल उपस्थित थे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए

बीके आदर्श दीदी ने कहा कि हम सभी इस संसार में एक सुंदर और सुखद जीवन जीने के लिए आए हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखने और उनकी निंदा करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। उन्होंने बताया कि किसी की बुराई करने से न तो सामने वाले का भला होता है और न ही हमारा, बल्कि इससे हमारा मन अशांत होता है। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि यदि हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना और अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में बीके प्रहलाद भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हर व्यक्ति खुश और शांत रहना चाहता है, लेकिन फिर भी तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी वही है, जो हर परिस्थिति में बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम अपने विचारों को समझना और उन्हें सकारात्मक बनाना सीखते हैं, तब हमारी अधिकांश परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। शांति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है स्वीकार भाव। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और जो बदल सकता है, उसे बदलने का साहस रखना ही सच्चे सुख का आधार है। उन्होंने खुश रहने के सरल उपाय बताते हुए कहा कि हमें नियमित रूप से स्वयं के साथ समय बिताना चाहिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराना सीखना चाहिए। यही आंतरिक शक्ति हमें सशक्त बनाती है और जीवन को सहज बनाती है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बच्चों ने गीत, नृत्य एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के माध्यम से सकारात्मक जीवन मूल्यों का सुंदर संदेश दिया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने सराहा।

आदर्श स्टेशनरी एवं स्कूल के संचालक पर एफआईआर दर्ज

ग्वालियर। पुस्तक मेला में एक अभिभावक ने शिकायत की थी की आर्दश स्टेशनरी स्टोर द्वारा विकय की गई उपरोक्त पुस्तकें एवं स्टेशनरी में एमआरपी मुद्रित नहीं है एवं प्रकाशक का नाम भी मुद्रित नहीं हैं। शिकायत मिलने पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा कंगारू किडस स्कूल का औचक निरीक्षण कर जांच की। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके चलते धनराज सेवानी संचालक आदर्श स्टेशनरी स्टोर दर्पण कॉलोनी ग्वालियर एवं कंगारू किडस स्कूल सिटी सेन्टर के डारेक्टर श्री उदित गायकवाड के विरूद्ध भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 223 के तहत थाना गोले का मन्दिर में प्रकरण पंजीवद्ध कराया गया है।

शिक्षक संयुक्त मोर्चा शुरू करेगा महाआंदोलन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 मार्च। भर्ती पश्चात अव्यवहारिक टीईटी परीक्षा रद्द कर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा गणना पर आंदोलन हेतु अध्यापक मप्र के अध्यापक संगठनों की संयुक्त बैठक 29 मार्च को गाँधी भवन भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों की सहभागिता व समर्थन से प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा गणना व टीईटी परीक्षा निरस्त करवाने सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष रखने हेतु सामुहिक संघर्ष के लिए प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान रामनिवास पुत्र श्री मजबूत सिंह ने एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 30 (नायडू वाडी), ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना नगर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के सर्वे क्र. 500/32, 501/1/3 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- रास्ता 15 फुट चौड़ा, पश्चिम में- मकान मिथलेश महुरी वाले, उत्तर में- प्लॉट सिगराम डबरई वाले, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 14 रवी सिंह हरिगमा वाले तथा प्लॉट नंबर 13 उदयवीर सिंह व कुल क्षेत्रफल 923 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री कमल सिंह के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान रघुवीर प्रसाद, ऋषिकेश पुत्रगण स्व. श्री रामचरन, रामकली, शीला पुत्रियां स्व. श्री रामचरन एवं श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री रामचरन व अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज हैं। तत्पश्चात उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान ऋषिकेश पुत्र स्व. श्री रामचरन द्वारा श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री कमल सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25792023A12126275 व दिनांक 12-07-2023 से विक्रय की गई। तत्पश्चात श्रीमान ऋषिकेश पुत्र स्व. श्री रामचरन द्वारा श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री कमल सिंह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP27IGR17912025A100435915 व दिनांक 06.06.2025 से जिसमें भूलवश ग्राम का नाम व चारों दिशाओं का गलत अंकित होने के कारण सुधार किया गया। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग का श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री कमल सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 30.03.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसलटेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

श्री रामविलास सिंह सिकरवार पुत्र श्री केशव सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम महाराजपुर, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र .45 (चंबल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 1068 ग्राम महाराजपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में भूखण्ड का शेष भाग विक्रेता, पश्चिम में भूखण्ड श्री युवराज परमार उत्तर में- रास्ता 25 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में भूखण्ड श्री विनोद एवं श्री धर्मेन्द्र प्रजापति है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मुकेश श्री कंशव, श्री संजय, श्री नरेश पुत्रगण श्री दीनानाथ एवं राजाबेटी, रामवती पुत्रियां श्री दीनानाथ एवं श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री दीनानाथ, श्री संजय मुदगल पुत्र श्री मातादीन मंगल, श्रीमती बतासिया पत्नी स्व. श्री जीवनलाल एवं श्री वातारम पुत्र श्री राम सिंह के संयुक्त स्वत्व स्वानित्य की थी। श्री मुकेश द्वारा सम्पत्ति 3200 वर्गफुट एरिया श्री रामविलास सिंह सिकरवार पुत्र श्री केशव सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 25792022ए1 1057127 दिनांक 19.10.2022 से विक्रय की गई। श्री रामविलास सिंह सिकरवार द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती सोनिका सिंह तोमर पुत्री श्री शेर सिंह के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र. एमपी 27 आईजीआर 17912026?400324977 दिनांक 20/13.2026 को सम्पादित किया गया। श्री रामविलास सिंह सिकरवार जर्ये मुख्त्यारआम श्रीमती सोनिका सिंह तोमर द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती सनेही प्रजापति पत्नी श्री राजवीर के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती रानेही द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ग्यालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संरवा, निगम अवया निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहरयामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्य, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार को हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उमरोक्त वर्णित अवल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

फोटो एक,पर अलग-अलग नाम-पते पर जारी हुए कई सिम कार्ड

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। शहर में सिम का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जिसमें एक ही फोटो लगाकर अलग- अलग नाम पते पर कई सिम जारी कर दी गईं। यह सनसनीखेज जानकारी सामने आने पर झांसी रोड थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। शहर में फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक पीओएस संचालक द्वारा नियमों को दरकिनार कर सैकड़ों सिम एक्टिवेट कर बेचने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी एक ही व्यक्ति के चेहरे का इस्तेमाल कर अलग-अलग नाम और पतों पर सिम सक्रिय कर रहा था। इस पूरे खेल के पीछे कमीशन का लालच था, जिसके तहत एक युवक को हर सिम एक्टिवेशन करवाने के बदले 500 रुपए दिए जाते थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी संचालक और सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पीएचक्यू के निर्देश पर वर्तमान में ऑपरेशन फेस (फेशियल ऑथेंटिकेशन कंप्लायंस इंफोर्समेंट) चलाया जा रहा था। उक्त कार्रवाई भी इसी अभिन के तहत की गई है। ग्वालियर में इस अभियान के अंतर्गत यह पहली एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अधिकारियों को इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

ऐसे चल रहा था फर्जीवाड़े का खेल: जांच में सामने आया कि पीओएस संचालक उमेश कुशवाह ने गिरवाई क्षेत्र के आशीष नागर को लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया। आशीष का काम ग्राहकों के स्थान पर खुद का फोटो लगाकर सिम एक्टिवेट करना था। आधार कार्ड की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई सिम सक्रिय किए गए और फिर उन्हें बाजार में बेच दिया गया। पुलिस जांच में अब तक सात फर्जी सिम बरामद की गई हैं। ये सभी सिम गुढ़ा-गुढ़ी का नाका क्षेत्र की प्रीतमपुर कॉलोनी और कुम्हारों का मोहल्ला के लोगों के नाम पर जारी की गई थीं, जबकि उनमें आशीष का फोटो इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की, मुख्य आरोपी को इसकी भनक लग गई। उसने इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए आशीष को संदेश भेजकर अंडरग्राउंड होने की सलाह दी। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पहले से ही पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश में था।

बिल्डिंग से गिरकर प्लंबर की मौत

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा प्लंबर असंतुलित होकर आठ फीट ऊंचाई से गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना सिरोल इलाके की है। जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम करवाने के उपरांत मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में ले लिया है।

मूलतः गाजियाबाद निवासी मोनू तोमर पुत्र सत्यप्रकाश तोमर (33) पेशे प्लंबर था, जो वर्तमान में ग्वालियर में ही रह रहा था। मोनू सिरोल क्षेत्र में स्थित एक बिल्डिंग में प्लंबर का काम कर रहा था, इसी दौरान आठ फीट ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

आज अंतिम अवसर, शीघ्र जमा करें संपत्ति कर एवं जलकर, पाएँ छूट

ग्वालियर। शहर के सम्पत्तिकर दाताओं को मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आज 31 मार्च तक सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को दोहरा लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसमें शासन के नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्तिकर की राशि पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ तथा शासन के निर्देशानुसार ही नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार पर नियमानुसार 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 20, वार्ड क्रं 48, स्थान 607 का भाग, मामा का बाजार ग्वा0 मे स्थित है जो कि दिलीप कुमार गेही/जेऊमल गेही,घनश्यामदास,दीवानलाल गेही,सुनील कुमार गेही के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000168814 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602024ए11319156 दिनांक 11.11.2024 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज क्षे.क्र 20 दिनांक 22.12.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/64882/64966 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
श्रीमती पूजा जैसवानी/हीरानन्द जैसवानी
पता-मामा का बाजार ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-30.03.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पार्वती देवी पति स्वर्गीय जसवंत सिंह जादौन निवासी काली भैरव बाटिका के सामने कोटेश्वर कॉलोनी घासमंडी ग्वालियर 474003 यह घोषणा करती हूँ कि मेरे तीन पुत्र हैं- (1) जोगेंद्र सिह जादौन ज्येष्ठ पुत्र, (2) रविंद्र सिंह जादौन, (3) अरविंद्र सिंह जादौन यह कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र जोगेंद्र सिंह जादौन अपने हिस्से की संपत्ति पूर्व में प्राप्त कर उसे बेच चुका है। वर्तमान में उसका आचरण एवं संगति उचित नहीं है जिसके कारण मुझे यह आशंका है कि भविष्य में उसके अथवा उसकी पत्नी प्रीति जादौन द्वारा किए गए किसी भी कार्य में मेरा नाम जोडा जा सकता है। अतः मैं यह सार्वजनिक रूप से घोषित करती हूँ कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र जोगेंद्र सिंह जादौन तथा उसकी पत्नी प्रीति जादौन को अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति से पूर्णतः बेदखल अधिकारहीन करती हूँ। अब उन्हें मेरी किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार या दावा नहीं रहेगा। साथ ही भविष्य में जोगेंद्र सिंह जादौन एवं उसकी पत्नी प्रीति जादौन द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कार्य लेन-देन या गतिविधि के लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहूँगी तथा उससे मेरा कोई संबंध नहीं माना जाएगा। यह सूचना जनहित में प्रकाशित की जा रही है। दिनांक 30/03/2026, स्थान- ग्वालियर

पार्वती देवी पत्नी स्व. जसवंत सिंह जादौन
पता- काली भैरव बाटिका के सामने कोटेश्वर कॉलोनी घासमंडी, ग्वालियर 474003, मो. 8435259694

आम सूचना

श्रीमती प्रीति गुर्जर पत्नी श्री गिर्राज गुर्जर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित फोरेस्ट कॉलोनी, ग्राम जौरी, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.05 (तात्याटोपे वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.533/29 ग्राम ज्जौरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट है और उक्त सम्पत्ति की चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व-भवन श्री रामबाबू, पश्चिम-भूखण्ड गुर्जर, उत्तर-भवन गुर्जर एवं दक्षिण-रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती इन्देश गुप्ता पत्नी श्री मनोज गुप्ता द्वारा श्री रामनरेश, श्री रामबाबू पुत्रगण श्री सियाराम, श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री सुबेदार सिंह एवं पप्पी पत्नी श्री दौजीराम को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4893 दिनाक 20.11.2006 से विक्रय की गई। श्री रामनरेश कुषयाह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती प्रीति गुर्जर पत्नी श्री गिर्राज गुर्जर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 27 आईजीआर 17912025ए100378027 दिनांक 27.05.2025 से विक्रय की गई। श्रीमती प्रीति गुर्जर द्वारा उत्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार मोतीलाल ओसवाल होम फायनेश लि ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगन अथवा निकाय एवं उक्त सर्व क्रमांक के अन्य सहत्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य क सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज राहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति गय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्वात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरुद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

पंचम विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। जय शिव महाकाल सेवा समिति द्वारा पंचम विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मोतीझील वार्ड क्रमांक 5, रामविलास की पहाड़ी पर संपन्न हुआ। पावन एकादशी के इस अवसर पर आयोजित इस शिविर में लगभग 120 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। सेवा भावी डॉक्टरों की टीम ने नि:स्वार्थ भाव से मरीजों का परीक्षण कर उचित परामर्श एवं उपचार प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। समिति ने सभी डॉक्टरों, सहयोगियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया।

निर्माण कार्य के लिए आज इन क्षेत्रों में बिजली कटौती

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,30मार्च। जोन कार्यालय द्वारा वितरण परिणामित्रों की क्षमता में हो रहे वृद्धि के कार्य के लिए विद्युत सप्लाई आज मंगलवार को बंद रहेगी आवश्यकतानुसार कटौती के समय को बढ़ाया व धटाया जा सकता है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कस्तूरबा मार्केट, नया बाजार, तेली की बजरिया, के.आर.जी. कॉलोज, टोपी बाला मोहल्ला, हुजरात चौराहा, निम्बालकर की गोठ न. 1 एवं 2. गुब्बारा फाटक। आदि सभी क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।

दुखालय में सुख ढूंढते हैं जो नहीं मिलने वाला : भक्ति आश्रय

ग्वालियर। देश के प्रसिद्ध वैष्णव संत और इस्कॉन के वरिष्ठ गुरु भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने इस्कॉन मंदिर दौलतगंज पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मईया व बलभद्र भगवान की आरती की। इससे पहले महाराज जी का स्वागत मंदिर के प्रभुजी व माताजी ने पुष्प वर्षा व हरे नाम संकीर्तन कर किया। इसके बाद स्वामी महाराज के विशेष प्रवचन हुए। प्रवचन की शुरुआत भक्ति आश्रय महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र से की। उन्होंने बताया कि यह संसार दुखालय है, लेकिन मनुष्य यहां आने के बाद सुख ढूंढता है जबकि यहां कोई सुखी नहीं है। अगर मनुष्य को सुख चाहिए तो वह भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करे तभी वह इस 84 के जंजाल से मुक्ति पा सकता है।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थानः गिरवाई पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती बसन्ती बाई / ग्यासी कुशवाह के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000212885 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 968 वर्गफूट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. 024909 दिनांक 17.03.2005 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 30.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. ....प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
छुट्टो बाई / कमल सिंह
पताः गिरवाई, वार्ड-65, मोः 9301995426
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 30-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थानः गिरवाई पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रजनी कुशवाह / तुलसीराम के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000215849 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफूट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A12607012 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 30.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. ....प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
रामबाई कुशवाह / हरीकिशन कुशवाह
पताः गिरवाई, वार्ड-65, मोः 6263616419
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 30-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. .., स्थानः शांती नगर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती भोजराज साधवानी / स्व. श्री मोहनलाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000130864 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. मृत्युउपरांत-उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 23.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 81/2010/38878/61070/ प्र.क्रं. *3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
सौरभ साधवानी / स्व. श्री भोजराज साधवानी
पताः शांती नगर, वार्ड-35
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 30-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 24, वार्ड क्रं 65, स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि नारायण शर्मा/रामनिवास शर्मा के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000212891 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1050 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं 210 दिनांक 01.07.2006 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्र 24 दिनांक 27.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
मनोरमा पाठक/बृजबिहारी पाठक
पता-अजयपुर ग्वा0(म.प्र.),मो0-9131023067
विज्ञप्ति जारी दिनांक-30.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 24, वार्ड क्रं 65, स्थान वीरपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि राजू,सुदामा /गयाराम के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000212888 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं बी.जे 49088 दिनांक 31.03.2007 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्र 24 दिनांक 27.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
विजया जिझोतिया/ओमप्रकाश जिझोतिया
पता-वीरपुर ग्वा0(म.प्र.), मो0-9111118648
विज्ञप्ति जारी दिनांक -30.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 10, स्थान आऊखाना ग्वा0 मे स्थित है जो कि उदयराज,बालकिशन/राधेलाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 2000173269 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 747 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/मृत्युउपरान्त प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला क्षे.क्र 02 दिनांक 25.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/58134/58343 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
श्रीमती रामश्री,मोहन,ग्याप्रसाद, राजकुमार/ बालकिशन,रामवती,जीतू/ ओम सिंह
पता-आऊखाना ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-30.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 10, स्थान 552,कोटेश्वर कॉलोनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि धीरेन्द्र सिंह,सुखदेव सिंह/वासुदेव सिंह कुशवाह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000094908 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-17012600084904 दिनांक 17.01.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला क्षे.क्र 02 दिनांक 25.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/58135/58344 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
सुरेन्द्र सिंह चंदेल/मुन्नालाल चंदेल
पता-कोटेश्वर कॉलोनी ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9300009351
विज्ञप्ति जारी दिनांक-30.03.2026

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री जगदीश पचौरी ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट नं. A-15 (भाग), A-16, A-17 (भाग), वार्ड नं. 23, बुद्ध विहार कॉलोनी उत्तमपुरा, ग्राम बडोखर तहसील मुरैना नगर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) के सर्वे क्र. 27 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लॉट नं. A-17 का भाग, पश्चिम में- प्लॉट नं. A-15 का भाग, उत्तर में- रास्ता 25 फुट, दक्षिण में- प्लॉट नंबर B-12, B-13, B-14 व कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान संदीप पुत्र श्री बसंत के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान मूला पुत्र श्री छम्मी, श्रीमान रामलाल, राधाचरण, व सीताराम पुत्रगण श्री मंगल सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है, जिसमें श्रीमान भानुप्रकाश, हरिओम पुत्रगण श्री सीताराम, श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री बसंत तथा संदीप, विकास पुत्रगण श्री बसंत के नाम राजस्व विभाग में दर्ज हुए। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान संदीप पुत्र श्री बसंत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 30.03.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसलटेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान वकील सिंह पुत्र श्री डरू सिंह के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 01, मनमोहन कृष्णा नगर की गली, ग्राम पमाया एवं तहसील बामौर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 436/1/3/Min 3 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- रास्ता 15 फुट चौड़ा, पश्चिम में- मकान लोकेंद्र खवास, उत्तर में- खाली प्लॉट दीगर, दक्षिण में- राजवीर गुर्जर का मकान व कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री मोहनचन्द एवं श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री रमेशचंद के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज हैं। तत्पश्चात, केवल श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रमेशचंद द्वारा श्रीमान महावीर सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 2002 तथा ग्रंथ क्र. 9827 व दिनांक 24.07.2015 से विक्रय की गई। तदुपरांत श्रीमान महावीर सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह द्वारा श्रीमान वकील सिंह पुत्र श्री डरू सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP27IGR17912025A100225146 व दिनांक 22.04.2025 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक- 30.03.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसलटेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987